न्यायालय–विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–१२, बदायूँ।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–१३४७/२०१९
सरकार बनाम उस्मान उर्फ उरमान उर्फ इकराम
अंतर्गत धारा–३९२भा० दं० सं०
मु०अ०सं० ३५४/२०१७
थाना–फैजगंजबेहटा, जिला बदायूँ।

आदेश

पुकार करायी गयी। अभियुक्त उस्मान उर्फ उरमान उर्फ इकराम जेरे हिरासत अम्बाला (हरियाणा) कारागार से इस वाद में उपस्थित न्यायालय आया । विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त को आरोप पर सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वह साक्ष्य इंगित किया गया है, जिसको आरोप की पुष्टि में पेश करना चाहते हैं। उभय पक्ष को सुनने एवं इंगित साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध धाराः ३९२ भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पत्रावली पुनः लंच बाद प्रस्तुत हो।

दिनांकः ०७.११.२०१९ (राजकुमार तृतीय)
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–१२, बदायूँ।

पुनः पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त उस्मान उर्फ उरमान उर्फ इकराम को धारा ३९२ भा०दं०सं० के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियुक्त अम्बाला (हरियाणा) कारागार वापस हो तथा नियत तिथि पर तलब हो।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक २८.११.२०१९ को पेश हो।

दिनांकः ०७.११.२०१९ (राजकुमार तृतीय)
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–१२, बदायूँ।